57/178 16700/12

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AD 232265

विक्रय–पत्र

लेख पत्र का संक्षिप्त विवरण

1.	भूमि का प्रकार	कृषि
2.	परगना	बिजनौर
3.	ग्राम	[illegible]
4.	सम्पत्ति का विवरण (सम्पत्ति संख्या)	भूमि खसरा संख्या–46 व 159
5.	मापन की इकाई	: हेक्टेयर
6.	विक्रीत सम्पत्ति का क्षेत्रफल	: 0.0506 हेक्टेयर
7.	सम्पत्ति का प्रकार	: कृषि

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AD 282254

-2-

8.	पेड़ों का मूल्यांकन	: नहीं
9.	बोरिंग/कुआं/अन्य	: नहीं
10.	प्रतिफल की धनराशि	: रू0 9,33,907/-
11.	मालियत	: रू0 8,87,200/-
12.	रूपया	: रू0 65,400/-

चौहद्दी

खसरा नं0 36

पूरब	: खसरा संख्या 37, 38, [illegible]
पश्चिम	: खसरा संख्या 32
उत्तर	: खसरा संख्या 34, 35, 105
दक्षिण	: सीमा ग्राम

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AD 202269

खसरा नं० 209

पूरब	: खसरा संख्या 210
पश्चिम	: खसरा संख्या-214, 215
उत्तर	: खसरा संख्या-91
दक्षिण	: खसरा संख्या-108

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AD 252268

-3-

प्रथम पक्ष की संख्या–01 द्वितीय पक्ष की संख्या–01

विक्रेता का विवरण	क्रेता का विवरण
शंकर पुत्र मैकू, निवासी– ग्राम, हसनपुर खेवली, परगना–बिजनौर तह० व जिला–लखनऊ।	ब्यासराम पुत्र स्व० शिव राम निवासी–मोहल्ला–बिलन्दपुर, तहसील–बिन्दकी, जिला–फतेहपुर, उ0प्र0।

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AD 282267

विक्रय विलेख

यह विक्रय विलेख शंकर पुत्र झींगुर, निवासी– ग्राम, हसनपुर खेवली, परगना-बिजनौर तह0 व जिला लखनऊ जिन्हे आगे विक्रेता कहा गया है, एवम् बलराम पुत्र स्व0 शिव राम निवासी–मोहल्ला–बिठलपुर, तहसील–बिन्दकी, जिला–फतेहपुर, उ0प्र0 जिन्हे आगे क्रेता कहा गया है, के मध्य निष्पादित किया गया।

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AD 282270

यह कि विक्रेता [illegible] खाता खतौनी क्रम संख्या-00161 फसली वर्ष 1419 से 1424 के कृषि भूमि खसरा संख्या-109 रकबा 0.2020 हेक्टेयर का 1/4 भाग यानी रकबा-0.0505 हेक्टेयर व खाता खतौनी क्रम संख्या-00156 फसली वर्ष 1419 से 1424 के कृषि भूमि खसरा संख्या-108 रकबा 0.3920 हेक्टेयर का 1/8 भाग यानी रकबा-0.049 हेक्टेयर, कुल दो किता व कुल रकबा-0.0995 हेक्टेयर, स्थित-ग्राम-हसनपुर खेवली, परगना बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ का मालिक काबिज व काबिज है, जो कि विक्रेता को वरासतन प्राप्त हुई है, तथा उपरोक्त सत्यापित खतौनी

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AD 282271

खाता खतौनी खाता संख्या-00151 व 00156 के अनुसार भूमि भूमि विक्रेता के नाम अमल दरामद हो चुका है।

विक्रेता की भूमि मे 4-5 फिट गहरे गड्ढे है अथवा भूमि कृषि योग्य नही है। भूमि पर पहुँचने का रास्ता भी नही है।

विक्रेता की उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण हेतु अधिसूचना अंतर्गत धारा 4(1) भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 दिनांक 26/10/2010 सरकारी गजट में प्रकाशित हो चुकी है। विक्रेता को

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 पाँच हजार रुपये

Rs.5000 FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AD 282272

अधिग्रहण कार्यवाही के विरुद्ध कोई आपत्ति नहीं है किन्तु चूंकि विक्रेता को रुपयों की अत्यन्त आवश्यकता है एवं अधिग्रहण प्रक्रिया पूर्ण होने व प्रतिकर भुगतान में काफी समय लगने की सम्भावना है अतः विक्रेता ने क्रेता को उपरोक्त तथ्यों से अवगत कराते हुए भूमि का विक्रय करना तय किया है कि भूमि अधिग्रहीत हो जाने की दशा में मात्र क्रेता या उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति ही प्रतिकर प्राप्त करने का हकदार होगा। विक्रेता द्वारा भूमि अधिग्रहण

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AD 282278

-6-

के अन्तर्गत व अधिग्रहण के उपरान्त प्राप्त होने वाले प्रतिकर पर किसी प्रकार का कोई क्लेम नहीं होगा।

उक्त अराजी आज विक्रेता के कब्जे व दखल मालिकाना में मौजूद है और वो कहीं विक्रय, हिबा, रहनभार, कुर्की, व जमानत आदि से प्रभावित नहीं है, उक्त आराजी में किसी अन्य व्यक्ति का कोई स्वामित्व एवं अधिकार नहीं है और न ही कोई व्यक्ति भागीदार है, अतः फलस्वरूप खुद विक्रेता ने उसी आराजी स्वत्व क्रेतागण को पूर्ण स्वामित्व एवं अधिकारों सहित बिना कोई किसी

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AD 252276

पीस व एक के अपने होश व हवास में बिना किसी दबाव के, मबलग मुबलिग रू० 9,33,907/- (रुपया नौ लाख तैंतीस हजार नौ सौ सात मात्र) में उपरोक्त क्रेता को बय मुतलक किया, और कुल विक्रय धनराशि मैंने कब्ल तहरीर दस्तावेज हाथ क्रेता उपरोक्त से नीचे दिये गये विवरण के अनुसार प्राप्त करके रकम व इसका मालिकाना आराजी मबीया पर आज की तारीख से क्रेता उपरोक्त का मालिकाना कब्जा करा दिया, अब विक्रेता व वारिसान विक्रेता को कोई हक व दावा निस्बत आराजी मबीया व विक्रय

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AJ 202377

धनराशि में क्रेता से बाकी नहीं रहा, अगर कोई एतराज दावा करे तो वह बिल्कुल नाजायज होगें, और अगर आराजी मजकूरा पूर्ण अथवा उसका कोई अंश क्रेता के स्वामित्व एवं अधिकारों से निकल जाये या कब्जा न मिले या कहीं विवाद, हिबा, रहनभार, कुर्की व जमानत आदि से बाधित पायी जाती है तो ऐसी स्थिति में क्रेता को अधिकार होगा कि वह अपना कुल विक्रय धनराशि मय हर्जा–खर्चा व नुकसान के सब विक्रेता व वारिसान विक्रेता से व विक्रेता की अन्य सम्पत्ति चल व अचल से जरिये न्यायालय प्राप्त

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 10 222273

करा लेवें, इसमें विक्रेता व वारिसान विक्रेता को कोई आपत्ति नहीं होगी।

अब क्रेता उपरोक्त को पूरा अधिकार है कि वह विक्रीत आराजी के सम्बन्ध में समस्त सरकारी अभिलेखों में अपने नाम दाखिल खारिज करा लेवें ।

आराजी उपरोक्त में कृषि कार्य होता है, आराजी उपरोक्त में पेड़, ट्यूबवेल, कुआं व इमारत आदि नहीं है।

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AD 232274

आराजी उपरोक्त किसी लिंक मार्ग, प्रान्तीय मार्ग व राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित नहीं है।

आराजी स्थित ग्राम [illegible] तहसील, परगना-बिजनौर के अर्धनगरीय क्षेत्र के [illegible] ग्राम के अन्तर्गत आता है जो नगर निगम सीमा के बाहर स्थित है जिसकी कृषि भूमि की सरकारी कीमत 56,00,000/- रुपया प्रति हेक्टेयर की दर से विक्रीत भूमि 0.0996 हेक्टेयर की मालियत रू० 5,57,200/- होती है जो कि

[illegible]

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BA 744655

विक्रय मूल्य से कम है, अतः नियमानुसार विक्रय मूल्य पर आकलित स्टाम्प शुल्क 65,400/- रु. अदा किये जा रहे हैं।

उपरोक्त आराजी मुख्य मार्ग सुल्तानपुर रोड से 1 किमी० से अधिक दूरी पर स्थित है।

विक्रेता अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति का सदस्य है।

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BJ 946637

यह कि भूमि अधिग्रहीत हो जाने की दशा में अधिग्रहीत भूमि का प्रतिकर प्राप्त करने का अधिकार मात्र क्रेता या क्रेता द्वारा अधिकृत व्यक्ति को होगा। विक्रेता या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति को प्रतिकर प्राप्त करने का हक न होगा। विक्रेता या उसकी ओर से कोई भी व्यक्ति भविष्य में उक्त भूमि के अधिग्रहण व प्रतिकर से सम्बन्धित कोई वाद/मुकदमा किसी न्यायालय /अधिकारी /प्राधिकरण के समक्ष नहीं करेगा।

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BA 946638

यह कि ऊपर प्रयोग किये गये शब्दों "विक्रेता" एवं "क्रेता" में, जब तक वे प्रसंग के प्रतिकूल न हों, उनके विधिक प्रतिनिधिगण व उत्तराधिकारीगण भी सम्मिलित हैं।

विवरण भुगतान

कुल विक्रय मूल्य रू0 9,33,907/- (रूपया नौ लाख तैंतीस हजार नौ सौ सात मात्र) द्वारा चेक संख्या–956772 दिनांकित [illegible].09.2012 पंजाब नेशनल बैंक शाखा हजरतगंज,

(क्रमशः)

[illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

10 [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

8A 990639

[illegible] विक्रेता ने क्रेता से वसूल पाया, जिसकी प्राप्ति विक्रेता स्वीकार करता है।

लिहाजा यह बैनामा विक्रेता ने अपनी खुशी व रजामन्दी से खूब सोच व समझकर बिना किसी दबाव के, क्रेता उपरोक्त के पक्ष में लिख दिया ताकि सनद रहे और वक्त जरूरत पर काम आवे।

दुरदेवी

[illegible]

[illegible] Year [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

अतः आज उभय पक्षों ने इस विक्रय विलेख पर अपने–अपने हस्ताक्षर बनाकर इसे निष्पादित किया।

नोट :- पृष्ठ संख्या–17 पर चेक संख्या काटकर पेन से लिखी गई है।

दिनांक 11.09.2012

लखनऊ

गवाहान :

1. [illegible]

2. [illegible]

विक्रेता

क्रेता

टंकणकर्ता:

(राम [illegible])

सिविल कोर्ट, लखनऊ

मसविदाकर्ता:

([illegible] नाथ [illegible])

एडवोकेट

[illegible] 2012 [illegible]

[illegible]

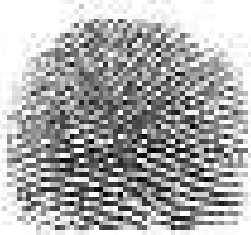

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

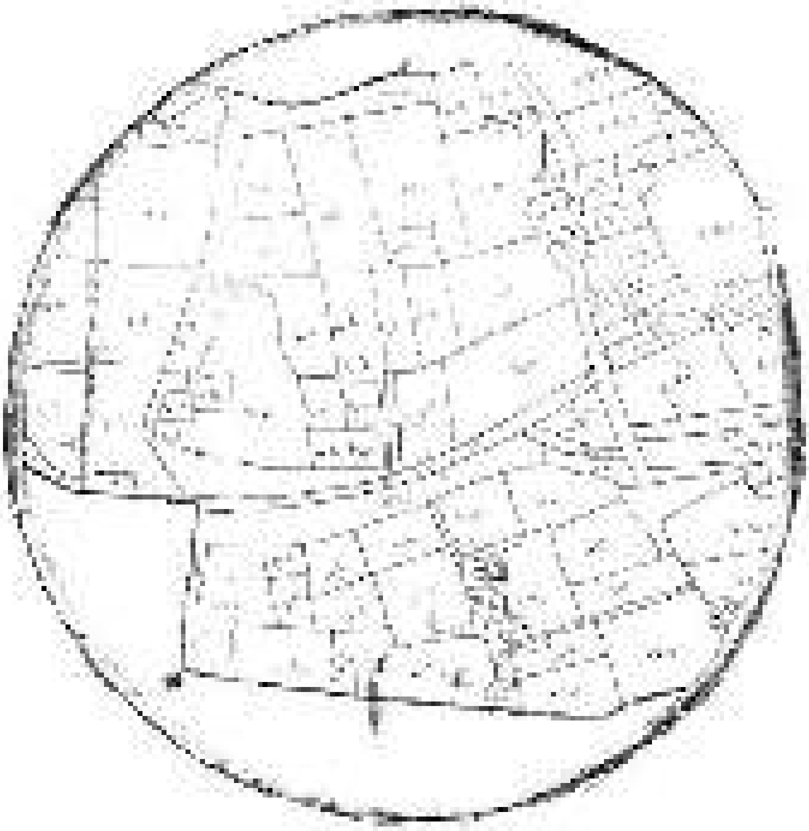

[illegible]

[illegible]

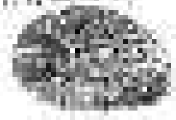

[illegible]

आज दिनांक 12/09/2012 को

बही सं. 1 जिल्द सं. 14712

पृष्ठ सं. 271 से 408 पर क्रमांक 16768

रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

[illegible]

उप निबंधक (प्रथम)

लखनऊ

[illegible]